पत्रांक–14 / विविध–06–23 / 2025 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– दिनांक–20.06.2025 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार का सिवान जिला अंतर्गत पचरूखी प्रखंड अंतर्गत जसौली खर्ग में आगमन के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं अन्य कार्य में हुये व्यय के भुगतान हेतु राशि ₹1491.59930 लाख (चौदह करोड़ इक्यानवे लाख उनसठ हजार नौ सौ तीस रूपये) मात्र की वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–1094, दिनांक–23.09.2026 द्वारा दिनांक–20.06.2025 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार का सिवान जिला अंतर्गत पचरूखी प्रखंड अंतर्गत जसौली खर्ग में आगमन के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु बनाये गये बैरिकेडिंग, ड्रॉपगेट एवं वाच टावर, जर्मन हैंगर, लाईट, कैटरिंग तथा अन्य कार्य में हुये व्यय की राशि के भुगतान हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के पत्रांक–1358, दिनांक–10.11.2026 द्वारा लंबित दायित्व सहित अन्य आवश्यक भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि (BCF) से उपबंधित करते हुये राशि उपलब्ध कराया गया है।

3. उक्त वर्णित स्थिति तथा जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में दिनांक–20.06.2025 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार का सिवान जिला अंतर्गत पचरूखी प्रखंड अंतर्गत जसौली खर्ग में आगमन के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं अन्य कार्य में हुये व्यय के भुगतान हेतु ₹1491.59930 लाख (चौदह करोड़ इक्यानवे लाख उनसठ हजार नौ सौ तीस रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद अंतर्गत निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	जिला का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*
1	सिवान	दिनांक–20.06.2025 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार का सिवान जिला अंतर्गत पचरूखी प्रखंड अंतर्गत जसौली खर्ग में आगमन के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं अन्य कार्य।	1491.59930
		कुल	**1491.59930**

अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹1491.59930 लाख (चौदह करोड़ इक्यानवे लाख उनसठ हजार नौ सौ तीस रूपये) मात्र।

4. उक्त स्वीकृत राशि **₹1491.59930 लाख (चौदह करोड़ इक्यानवे लाख उनसठ हजार नौ सौ तीस रूपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सिवान होगें,** जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक–236, दिनांक–09.03.2026 एवं पत्रांक–1358, दिनांक–10.11.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी।

5. इसके लिये CFMS के माध्यम से राशि आवंटित किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत कुल **₹1491.59930 लाख (चौदह करोड़ इक्यानवे लाख उनसठ हजार नौ सौ तीस रूपये) मात्र** की निकासी माँग संख्या–48 नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष–2251–सचिवालय सामाजिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष–00, 090–सचिवालय, उपशीर्ष–0005–नगर विकास एवं आवास विभाग, विपत्र कोड–48-2251000900005, विषय शीर्ष–0005.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत से की जाएगी।

7. राशि की निकासी संबंधित टी०भ० नं० तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी इस विभाग को निश्चित रूप से भेजा जाय ताकि महालेखाकार, बिहार से सामंजन कराया जा सके।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 वि(2), दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिये महालेखाकार, बिहार पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–31.03.2027 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस संचिका के पृष्ठ सं०–52/टि० पर दिनांक–12.11.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–53/टि० पर दिनांक–12.11.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–14/विविध–06–23/2025 246 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 13/11/26

प्रतिलिपिः–प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, सिवान/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सिवान/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं सिवान/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।